नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक–07 जिला उज्जैन (म0प्र0)

क्लेम प्रकरण क्रमांक– 107 / 18

सी.आई.एस.नंबर–01 / 18

अशोक पिता अंतरसिंह मकवाना
आयु–27 वर्ष, व्यवसाय–वाहन चालक
(ड्रायवर), निवासी–232 अन्नपूर्णा नगर,
संत रविदास नगर नानाखेड़ा उज्जैन म.प्र

.... **आवेदक**

:: बनाम ::

1. आजाद खान पिता नियाज खान, आयु–27 वर्ष, व्यवसाय–वाहन चालक निवासी–ग्राम चिकली, थाना इंगोरिया तह. बडनगर, जिला उज्जैन म.प्र.
2. नूर खान पिता बाबू खान, उम्र–26 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार, निवासी–98 / 1 सिकंदराबाद इंदौर, हाल–मुकाम–ग्राम चिकली, थाना इंगोरिया तहसील–बडनगर, जिला–उज्जैन म.प्र.
3. युनाइटेड इंडिया कंपनी इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड इंदौर, द्वारा मंडल प्रबंधक–महाकाल वाणिज्य केन्द्र ट्रेजर बाजार के सामने उज्जैन म0प्र0

..........**अनावेदकगण**

–: अधिनिर्णय :–

(दिनांक–14.07.2018 को पारित)

1. धारा 166 मोटरयान अधिनियम के तहत आवेदक ने मोटरयान से दुर्घटनाजन्य चोटों के एवज में क्षति पूर्ति राशि 24,50,000 / –रूपये मय ब्याज अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्तः व प्रथकतः दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम आवेदन के अनुसार दिनांक 15.06.16 को दोपहर 3.30 बजे आवेदक अपनी मोटर साइकल से अपनी साइड से इंदौर रोड उज्जैन दर्शन करने जा रहा था, उसकी मोटर साइकिल पर उसका मित्र आशीष भी बैठा हुआ था, जैसे ही वह उज्जैन में इंदौर रोड पर इंजीनियरिंग कॉलेज पास पहुंचे, तभी अनावेदक क्र.1 के द्वारा अनावेदक क्र.2 के स्वामित्व की अनावेदक क्र.3 बीमा कंपनी से बीमित आयशर वाहन क्रमांक एम0.पी. 09 जी.ई 5068 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आवेदक की मोटर साइकिल में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके फलस्वरूप उसे चोटें व परिणाम में स्थायी निर्योग्यता कारित हुई।

3. आवेदक एवं अनावेदक बीमा कंपनी क्रमांक 3 के मध्य हुए लिखित राजीनामा अनुसार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी आवेदक को दुर्घटना जन्य चोटों के एवज में कुल क्षतिपूर्ति राशि 4,21,000 / –रूपये– अदा करेगा तथा अन्य अनावेदकगण से आवेदक को कोई

सहायता वांछित नहीं है तथा उभय पक्ष अपना अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। प्रस्तुत राजीनामा प्रलेख पर आवेदक तथा आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक जोशी तथा अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से उसके अधिवक्ता श्री राजेश वढेरा द्वारा हस्ताक्षर किए है।

4. प्रस्तुत राजीनामा आवेदन बाद तस्दीक समाधान प्रद होने से स्वीकार किया जाता है तथा अनोवदक क्रमांक 1 व 2 को क्षति पूर्ति के दायित्व से मुक्त किया जाता है और निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है–

1. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी, आवेदक को मोटर यान दुर्घटना के एवज में क्षति पूर्ति की कुल राशि 4,21,000/–रूपये अवार्ड दिनांक से एक माह के भीतर अदा करेगी।
2. अनावेदक बीमा कंपनी द्वारा उक्त क्षति की राशि एक माह के भीतर अदा न किए जाने पर अनावेदक बीमा कंपनी आवेदक को क्षति पूर्ति राशि 4,21,000/– रूपये पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करेगी।
3. उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर आवेदक के इलाज में हुए व्यय को विचार में लेते आवेदक को 2,75,000/–रूपये नगद दिलाया जावे तथा शेष राशि मय ब्याज किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि योजना के तहत तीन वर्ष के लिए जमा कराई जावे, जिस पर आवेदक त्रैमासिक ब्याज प्राप्त कर सकता है।
4. उभय पक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे

5. लोक अदालत में राजीनामा होने से आवेदक को उसके द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क की वापसी हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे। पक्षकारों को अवार्ड की प्रति प्रदान की जावे।

सही/–

संजीव श्रीवास्तव
पीठासीन अधिकारी राष्ट्रीय
लोक अदालत खंडपीठ क्रमांक 7 एवं
षष्ठम सदस्य मो.यान दुर्घटना
दा. अधिकरण उज्जैन

सदस्य
सही/–
क्र.1 (श्री संजय वर्मा)

सदस्य
सही/–
क्र.2 (श्रीमती लता अग्रवाल)